

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
मामलतदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
दमण

इ-मेल: mdar-dmn-dd@nic.in - दूरभाष : 0260 2230861

सं. एम.ए.एम/डी.एम.एन./2023-24/ 79

दिनांक : 17 /01/2024

प्रेस नोट

दमण की आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मामलतदार कार्यालय, दमण में भूमि राजस्व कर के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसे SUGAM पोर्टल (<https://sugam.dddgov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा तथा भू-राजस्व कर भुगतान की ऑफलाइन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।

इसलिए, आप सभी से अनुरोध है कि आप वर्ष 2023-2024 के लिए अपने बकाया भूमि राजस्व कर का भुगतान 31.03.2024 से पहले SUGAM पोर्टल (<https://sugam.dddgov.in>) पर कर दें। चूक की स्थिति में दिनांक 01.04.2024 से गोवा, दमण एवं दीव भूमि राजस्व संहिता, 1968 की धारा 123 और नियम 1969 नियमों के तहत बकाया भूमि राजस्व कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसे मामलतदार कार्यालय, दमण कार्यालय की ऑनलाइन सेवाएं, जो वेबसाइट (<https://sugam.dddgov.in>) पर उपलब्ध हैं, के बारे में जन-जागरूकता फैलाने हेतु प्रकाशित किया जाता है।



(प्रेमजी मकवाना)

मामलतदार, दमण

सेवा में,

क्षेत्र प्रचार अधिकारी,
दमण.

प्रतिलिपि:-

1. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दमण को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में.
2. मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका परिषद, दमण सादर सूचना हेतु।
3. सभी ग्राम पंचायत सचिवों को अपने पंचायत घर में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु (खंड विकास अधिकारी, दमण के माध्यम से)।



संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
मामलतदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
दमण

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

इ-मेल: mdar-dmn-dd@nic.in - दूरभाष : 0260 2230861

सं. एम.ए.एम/डी.एम.एन./2023-24/ 79

दिनांक : 17/01/2024

PRESS NOTE

The general public of Daman are hereby informed that the process of payment in Land Revenue Tax of Mamlatdar Office Daman is made online. Which will be made online through the **SUGAM Portal** (<https://sugam.dddgov.in>) website and the off-line process for payment of land revenue tax discontinued with immediate effect.

Therefore, the people are requested to pay their outstanding land revenue tax for the year 2023-2024 on **SUGAM Portal** (<https://sugam.dddgov.in>) before 31.03.2024. If fail then, legal action will be taken against outstanding land revenue tax under Section 123 of The Goa, Daman and Diu Land Revenue Code 1968 and Rules 1969 Rules w.e.f. 01.04.2024.

This press note is published for public awareness, regarding the implementation of online application for services of Mamlatdar Office, Daman which is available at website (<https://sugam.dddgov.in>).

(Premji Makvana)
Mamlatdar, Daman

To,
The Field Publicity Officer,
Daman.

Copy to:-

1. The SIO, NIC, Daman with request to upload the same on the official website.
2. The Chief Officer, DMC, Daman for kind information please.
3. All the ~~Village~~ Secretaries, for display on their Village Panchayat Notice Board
(Through the Block Development Officer, Daman)

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
मामलतदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
दमण

इ-मेल: mdar-dmn-dd@nic.in - दूरभाष : 0260 2230861

सं. एम.ए.एम/डी.एम.एन./2023-24/ ३५

दिनांक : 17/01/2024

प्रेस नोट

आधी दमणनी जनताने जाण करवामां आवे छे के मामलतदार कचेरी दमणनी जमीन महेसुल भरवानी प्रक्रिया ऑनलाइन करवामां आवे छे. जे सुगम पोर्टल (<https://sugam.dddgov.in>) वेबसाईट द्वारा ऑनलाइन करवामां आवशे अने जमीन महेसूलनी यूकवणीनी ऑफ-लाइन प्रक्रिया तात्कालिक असरथी बंध करवामां आवी छे.

आधी दमणनी जनताने विनंती करवामां आवे छे के तमारा बाकी रहेता जमीन महेसूलना नाणां वर्ष 2023-2024 माटे Sugam Portal (<https://sugam.dddgov.in>) पर ऑनलाइन भरवा माटे जाण करवामां आवे छे. जेनी समय मर्यादा तारीख 31.03.2024 छे. तथा 01.04.2024थी बाकी रहेता नाणां पर The Goa, Daman and Diu Land Revenue Code 1968 and Rules 1969 Rules नी कलम 123 हेठल नी कायदाकीय कार्यवाही करवामां आवशे. जेनी नोंध लेवी.

आ प्रेस नोट मामलतदार कचेरी, दमणनी सेवाओ माटे ऑनलाइन अरजुना अमलीकरण अंगे जनजागृति माटे जाहेर करवामां आवी छे जे वेबसाईट (<https://sugam.dddgov.in>) पर उपलब्ध छे.



(प्रेमजी मकवाणा)

मामलतदार, दमण

सेवा मां,
क्षेत्र प्रचार अधिकारी,
दमण.

नकल रवाना :-

1. राज्य माहिती अधिकारी, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केन्द्र, दमण ने आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करवा बाबत.
2. मुख्य अधिकारी, दमण म्युन्सिपाल काउन्सिल, दमण सादर जाणकारी हेतु.
3. तमाम ग्राम पंचायत सचिवो तेमना पंचायत घर पर प्रदर्शन माटे (भंड विकास अधिकारी, दमण मारइत).